प्रकाश चन्द यादव

बनाम

स्टेट आफ बिहार और अन्य

अक्टूबर 12, 2007

(एस.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जेजे.)

दण्ड संहिता, 1860, एसएस, 109 बी और 307/विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, एसएस 3 और 4: हत्या का प्रयास - अभियुक्त ने पीड़ित और अन्य को मारने के आशय से उनकी ओर बम फेंका- एफ.आइ.आर.- अनुसंधान- विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 307/109 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध करने का दोषी पाया परन्तु उन्हें धारा 3 और 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया- पीड़ित द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की अपील को स्वीकार कर लिया- अपील पर अभिनिर्धारित किया: धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पीड़ित की ओर से चोट लगना पूर्व आवश्यकता नहीं है- हालांकि, धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता को आकर्षित करने के लिए आशय तथा ज्ञान आवश्यक तत्व है- धारा 307

भारतीय दण्ड संहिता के विधिक सिद्धान्तों/प्रावधानों को वर्तमान मामले पर लागू करने पर उच्च न्यायालय का निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता- इसलिए, मामले को नये सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया।

03.02.1994 को जब सूचना देने वाला अपनी मोटर साईकिल से पी.डब्ल्यू.-7 के साथ लौट रहा था जो उसकी पिछली सीट पर बैठा था, अभियुक्त और एक अज्ञात व्यक्ति सड़क पर खड़े थे। अभियुक्त ने सूचना देने वाले को मारने का आदेश दिया जिसके बाद सह अभियुक्त ने अपनी थैले से एक बम निकाला और उनकी ओर फेंका। हालांकि बम विस्फोटित नहीं हुआ। एक और बम अभियुक्त के द्वारा सूचना देने वाले की तरफ फेंका गया। यह फट गया लेकिन सूचना देने वाले को कोई चोट नहीं लगी। मौके पर कई लोग जमा हो गये जिसके बाद अभियुक्त ने कथित तौर पर अपनी लाईसेंसी बन्दूक से उनका पीछा किया। इस घटना को कई गवाहों ने देखा था। पीड़ित के अलावा अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू.-3, सूचना देने वाले का भाई, पी.डब्ल्यू.-4, सूचना देने वाले का चचेरा भाई, पी.डब्ल्यू.-2, पी.डब्ल्यू.-5, सूचना देने वाले का पिता और पी.डब्ब्लू.-7, पी.डब्ल्यू.-9, सहायक निदेषक, क्षेत्रीय फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला को परीक्षित करवाया। अपराध कारित करने का हेतु रेलवे अनुबंधों के अनुदान के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य प्रतिद्वन्दता कही जाती है। विचारण

न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 307/109 बी का अपराध कारित करने का दोषी पाया गया परन्तु धारा 3 और 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के आरोपों से उन्हें इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया कि उपयुक्त प्राधिकारी से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। अभियुक्त को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया और पाँच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और सह अभियुक्त को धारा 307/109 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दोषियों द्वारा एक अपील उच्च न्यायालय में दायर की गई। प्रथम सूचना दाता के द्वारा भी एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दोषियों द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को खारिज करते हुए अनुमति दी गई। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों से, यह स्पष्ट है कि इसका पहला भाग इस बात पर विचार नहीं करता कि पीड़ित की ओर से किसी चोट का प्राप्त होना किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पूर्व आवश्यकता हो। चोट लगने की स्थिति में, धारा 307 का दूसरा भाग आकर्षित होगा। धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के प्रथम भाग को

आकर्षित करने के लिए आशय या ज्ञान आवश्यक तत्व हैं। (पैरा 12)(235-जी; 236-ए)

1.2. इस न्यायालय का निर्णय परशुराम पाण्डे और अन्य बनाम बिहार राज्य स्वयं में इस प्रतिपादना के सम्बन्ध में एक प्राधिकार है कि हत्या करने और उसकी ओर कार्य करने के सम्बन्ध में धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के अन्तर्गत आशय या ज्ञान ये दो तत्व हैं। उच्च न्यायालय का निर्णय इसलिए बरकरार नहीं रखा जा सकता। तद्नुसार इसे अपास्त किया जाता है। मामले को उच्च न्यायालय को पुनः नये सिरे से विचार के लिए भेजा जाता है। (पैरा 14 और 15)(237 ए.बी.सी.)

परशुराम पाण्डे और अन्य बनाम बिहार राज्य(2004) 13 एससीसी 189, पर भरोसा किया।

1.3. यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय ने मामले के गुण दोष पर गौर नहीं किया है। (पैरा 15)(237-बी, सी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1427/2007

पटना उच्च न्यायालय के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 241/2001 और आपराधिक अपील संख्या 47/1999 के निर्णय एवं अंतिम आदेश दिनांक 22.12.2006 से।

एस.चन्द्र शेखर अपीलार्थी की ओर से।

वी. शेखर, मनीष कुमार, गोपाल सिंह अनुकुल राज, कामेश्वर सिंह, जंगपो शेरपा, अभिज्ञा, एम.ए. चिन्नासामी और राधाकांत त्रिपाठी उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा दिया गया।

1. इजाजत दी गई।

2. पटना उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा उत्तरदाताआंे द्वारा की गई अपील को प्राथमिकता देते हुए और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज करते हुए दिये गये निर्णय और आदेश दिनांक 22.12.06 के विरूद्ध यह अपील निर्देशित की गई है।

3. प्रकरण की तथ्यात्मक संरचना, जैसी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित है, यह है कि दिनांक 03.02.1994 को लगभग 12.30 पी.एम. पर, सूचना देने वाला, प्रकाश चन्द्र यादव(पी.डब्ल्यू.-10) रेलवे प्राधिकारी क्लब, जमालपुर मुख्य रेलवे अभियन्ता, पूर्वी रेलवे गोरखपुर तथा अतिरिक्त संभागीय अभियन्ता, सोनेपुर को लेने गया। उसने उक्त अधिकारियों का इन्तजार किया लेकिन यह जानने के बाद कि वे बाद में आयेंगे, उसने अपनी मोटर साईकिल से अपने घर जाने के लिए करीब 03.15 पी.एम. पर क्लब छोड़ दिया। मन्टू कुमार (पी.डब्ल्यू.-7) उक्त मोटर साईकिल पर उसके साथ था।

4. अभियुक्त श्याम देव जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट मंे नामित है, एक अज्ञात व्यक्ति भी, सड़क पर खड़े थे और कथित तौर पर सूचना दाता के द्वारा क्लब के दक्षिणी द्वार से निकलने के बाद उसे देखा गया। जब वे पष्चिम की ओर बढ़ रहे थे तो श्याम देव ने सूचना दाता को मारने का आदेश दिया जिसके बाद जनार्दन यादव ने अपने थैले से एक बम निकाला और उसे उनकी तरफ फेंका, हालांकि इसमें विस्फोट नहीं हुआ। उत्तरदाता सत्यनारायण यादव ने भी सूचना दाता की तरफ एक बम फेंका वह फटा, परन्तु सूचना दाता को कोई चोट कारित नहीं हुई। उक्त स्थान पर कई लोग एकत्र हो गये जिसके बाद, श्याम देव यादव ने कथित तौर पर अपनी लाईसेंसी बन्दूक से उनका पीछा किया।

5. बताया जाता है कि उक्त घटना गवाह सुरेश यादव, जवाहर यादव, राम नरेश प्रसाद और कई अन्य द्वारा देखी गई। प्रकाश चन्द्र यादव (पी.डब्ल्यू.-10) और सूचनादाता के अलावा अभियोजन द्वारा सुरेश यादव (पी.डब्ल्यू.-3), जो कि सूचनादाता का भाई है, जवाहर यादव (पी.डब्ल्यू.-4) सूचनादाता का चचेरा भाई, चुंकेष्वर(पी.डब्ल्यू.-2), रामनरेश यादव(पी.डब्ल्यू.-5), सूचनादाता का पिता और मन्टू कुमार(पी.डब्ल्यू.-7) (जो पिछली सीट पर सवार था) के अलावा बी.के मिश्रा(पी.डब्ल्यू.-9), सहायक निदेशक, क्षेत्रीय फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशला, मुज्जफरपुर,

रासायनिक परीक्षक जिन्होंने तथाकथित विस्फोटक पदार्थ जो घटना स्थल से बरामद हुआ, की जॉच की, को परीक्षित करवाया।

6. अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 334 और 307/109 और धारा 3 व 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध कारित करने का आरोप लगाया गया। उक्त अपराध को कारित करने का हेतु पक्षकारों के मध्य रेलवे अनुबन्धों के अनुदान के सम्बन्ध में प्रतिद्वन्दता होना बताया गया।

7. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उत्तरदाताओं को धारा 307/109 बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित करने के लिए दोषी पाया परन्तु उन्हें अन्तर्गत धारा 3 और 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के आरोपों से इस आधार पर दोषुक्त किया गया कि उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की गई। जनार्दन यादव और सत्यनारायण को अन्तर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया गया और 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और श्यामदेव यादव को अन्तर्गत धारा 307/109 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

8. उत्तरदाताओं द्वारा एक अपील उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रथम सूचनादाता द्वारा भी एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन उत्तरदाताओं को अन्तर्गत धारा 3 और 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में

दोषमुक्त किये जाने के निर्णय और आदेश के विरूद्ध साथ-साथ सजा बढ़ाने के लिए पेश की गई। पटना उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा आपराधिक अपील व पुनरीक्षण आवेदन दोनों की एक साथ सुनवायी की गई।

9. उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की शुरूआत अभियोजन पक्ष के गवाहों से की गई। प्रकाष चन्द्र यादव (पी.डब्ल्यू.-10) (सूचनादाता) की साक्ष्य से यह देखा गया कि उसने अभियोजन के मामले का पूर्ण समर्थन किया। अभियोजन के गवाह द्वारा किये गये कथनों का समान संक्षिप्त वर्णन उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के अनुच्छेद 8 से 13 में किया गया। उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों को अनुच्छेद 14 से 16 में निर्दिष्ट किया गया। अनुच्छेद 17 से 19 को आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन के समर्थन में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों को समर्पित किया गया। अनुच्छेद 20 में अभिलिखित किया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई मंजूरी ने विधि की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया।

उच्च न्यायालय का निर्णय केवल अनुच्छेद 21 में निहित है।

10. कम से कम कहने के लिए उच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से असंतोषजनक है। उच्च न्यायालय कहीं भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा कि अभियोजन गवाहान् ने महत्वपूर्ण विवरणों में स्वयं का खण्डन किया

ताकि उनकी साक्ष्य अविष्वसनीय हो जाए। वह इस नतीजे पर नहीं पहुँचा कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष या तो असन्तोषजनक था या विधिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल था। उच्च न्यायालय की राय थी कि सूचनादाता और पी.डब्ल्यू.-7 को कोई चोट कारित नहीं हुई इसलिए धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मामला नहीं बनता है। हमारी राय में उक्त निष्कर्ष कानूनी रूप से उचित नहीं है।

11. धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता निम्नानुसार हैः

> ''धारा 307. हत्या करने का प्रयास- जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाये तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है।''

12. उक्त प्रावधान के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इसका पहला भाग इस बात पर विचार नहीं करता कि पीड़ित की ओर से किसी चोट का प्राप्त होना किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पूर्व

आवश्यकता हो। चोट लगने की स्थिति में, धारा 307 का दूसरा भाग आकर्षित होगा। धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के प्रथम भाग को आकर्षित करने के लिए आशय या ज्ञान आवश्यक तत्व हैं। उक्त प्रावधान के साथ संलग्न दृष्टांत(सी) से विधिक स्थिति स्पष्ट होती है जो कि निम्नानुसार हैः

> ''(सी) जेड की हत्या करने का आशय रखते हुए ए एक बन्दूक खरीदता है, ए ने अभी तक अपराध नहीं किया है। जेड पर ए बन्दूक चलाता है, उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, और यदि इस प्रकार गोली मारकर वह जेड को घायल कर देता है तो वह इस धारा के प्रथम पैरा के पीछले भाग द्वारा उपबंधित दण्ड से दण्डनीय है।''

13. श्री वी. शेखर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उत्तरदाता की ओर से उपस्थित होकर हमारा ध्यान इस न्यायालय के निर्णय परशुराम पाण्डे व अन्य बनाम बिहार राज्य (2004) 13 एससीसी 189 की ओर आकर्षित किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

> ''धारा 307 के अपराध को गठित करने के लिए अपराध के दो तत्व मौजूद होने चाहिए:
>
> (ए) हत्या कारित करने का आशय या उसके सम्बन्ध में ज्ञान, और

(बी) इसके लिए कोई कार्य करना।

धारा 307 के प्रयोजन के लिए जो महत्वपूर्ण है वह आशय या ज्ञान है, न कि आशय को पूरा करने के उद्देष्य से किये गये वास्तविक कार्य का परिणाम। यह धारा स्पष्ट रूप से ऐसे कार्य पर विचार करती है जो मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है लेकिन जो मध्यवर्ती परिस्थितियों के कारण आशयित परिणाम लाने में विफल रहता है। अभियुक्त का आशय या ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हत्या को गठित करने के लिए आवश्यक हो। आशय या ज्ञान के अभाव में जो कि धारा 307 के आवश्यक तत्व हैं, हत्या के प्रयास का कोइ्र अपराध नहीं हो सकता। आशय मन की एक अवस्था है जिसे सटीक प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता, एक तथ्य के रूप में यह केवल अन्य कारकों से ही पता लगाया जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है। इस्तेमाल किये गये हथियार की प्रकृति, स्थान जहां पर चोट कारित की गई, चोट की प्रकृति और परिस्थितियां जिनमें घटना घटित हुई, विचार के लिए कुछ सुसंगत हो सकती हैं।''

14. उक्त निर्णय इसलिए स्वयं में ही एक प्राधिकार है, इस प्रतिपादना के लिए कि हत्या करने और उसकी ओर कार्य करने के सम्बन्ध

में धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के अन्तर्गत आशय या ज्ञान ये दो तत्व हैं।

15. उच्च न्यायालय का निर्णय, इसलिए बरकरार नहीं रह सकता। तद्नुसार इसे अपास्त किया जाता है। मामले को उच्च न्यायालय को पुनः नये सिरे से विचार के लिए भेजा जाता है। हम यद्यपि यह स्पष्ट करते हैं कि हम मामले के गुणावगुण पर नहीं गये हैं। उच्च न्यायालय को आपराधिक अपील शीघ्रता से सुनने और निस्तारण करने के लिए अनुरोध किया जाता है। उपरोक्त निर्देषों के साथ अपील स्वीकार की जाती है।

एस.के.एस. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शालिनी शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।